an>

Title: Need to enact a law ensuring adequate medical facilities and efficient medical staff in Ambulances.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) ः एम्बुलेंस सेवा स्वास्थ्य सेवाओं से परोक्ष रूप से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है। एम्बुलेंस में आई.सी.यू. से संबंधित सुविधाओं का होना अत्यंत आवश्यक है ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय रोगी की प्राण रक्षा हो सके। परन्तु इसके लिए कोई ऐसा नियम कानून नहीं है, जिसमें एम्बुलेंस में जरूरी उपकरण व व्यवस्थाओं की अनिवार्यताओं का उल्लेख हो। कोई भी वाहन परिवहन विभाग से वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र लेकर एम्बुलेंस के रूप मे चलने लगता है, चाहे उसके अंदर आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण व दक्ष स्टाफ हो या न हो। परिणामस्वरूप इन सबसे अनभिज्ञ व मजबूरीवश इनकी सेवाएं लेने को मजबूर मरीज की जान खतरे में पड़ी रहती है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि सरकार इस संबंध में अवैध रूप से तथा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण व दक्ष स्वास्थ्य स्टाफ के बिना चल रही एम्बुलेंस पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कानून बनाने का कष्ट किया जाए।